उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1042–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि /2024–08–विनियम/24 दिनांकः 16, नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 24.09.2024 को सम्पन्न 206(25)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा अभियन्ता संवर्ग के पद सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्डएम0/सिविल) के पद पर **अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा प्राप्तांक** (GATE MARKS) के आधार पर भर्ती किये जाने हेतु संगत सेवा विनियमावली **उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित)** (ई0एण्ड एम0/सिविल) में स्तम्भ–01 के अनुसार लागू व्यवस्थाओं के स्थान पर स्तम्भ–02 की नवीन व्यवस्थाओं के अनुसार संशोधन किया जाता है :–

पूर्व प्रचलित व्यवस्था	नवीन लागू व्यवस्था
01	02
Regulation no-05(1)(a) Point No.03 : 1. The Board will hold a written test and/or interview as they deem fit either by themselves or through an outside agency for selection of the candidates. (परिषदादेश सं0–225–विनि–23/राविप–92– 4–विनि/92 दिनांक 16.12.1992 द्वारा पूर्ववर्ती परिषद की सेवाओं में होने वाली सभी नियुक्तियों हेतु अभ्यर्थियों का चयन विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाना प्राविधानित है) 2. वर्तमान में कुल 200 अंको की परीक्षा आयोजित की जाती है। 3. साक्षात्कार हेतु 12.5 प्रतिशत का weightage दिया जाता है।	वेतनमान – सप्तम् वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 (रू0–56100–177500) (5400/–ग्रेड पे) **सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति/चयन हेतु प्रक्रिया –** 1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ***सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)*** **(ई0एण्ड एम0/सिविल)** के पद पर भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन विद्युत सेवा आयोग अथवा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग अथवा इसी प्रकार की केन्द्रीयकृत भर्ती संस्थाओं के माध्यम से निर्गत किया जा सकेगा। 2. विज्ञापित रिक्तियों पर चयन हेतु **अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा प्राप्तांक (GATE MARKS)** के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया जायेगा। अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग कारपोरेशन द्वारा निर्धारित वर्ष की **GATE** परीक्षा के **MARKS** के आधार पर की जायेगी। 3. शार्टलिस्टिंग उपरान्त मेरिट लिस्ट तैयार किये जाने हेतु साक्षात्कार को 12.5 प्रतिशत का weightage दिया जायेगा। 4. शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम् से सहायक अभियन्ता **'प्रशिक्षु'** के रूप में चयनित किया जायेगा। 5. साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के **03 गुने** से अधिक न होगी।

(ii) विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों पर चयन हेतु **GATE MARKS** तथा **साक्षात्कार** का कट–ऑफ (Cut-off) निर्धारण विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से किया जायेगा।

क्रमशः.........02

d:\kavini files\viniyam files 329\viniyam files\viniyam year wise file\2024\8-viniyam-24\letter.doc

(iii) विद्युत सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली अन्तिम मेरिट सूची में 25 प्रतिशत अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पदवार/श्रेणीवार श्रेष्ठता क्रम में प्रतीक्षा सूची के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रतीक्षा सूची का प्रयोग चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित/विस्तारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न किये जाने की स्थिति में प्रयोग में लायी जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची विद्युत सेवा आयोग द्वारा संस्तुति किये जाने के 06 माह तक प्रभावी रहेगी।

(iv) सेवा विनियमावली के अन्तर्गत विद्यमान विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जायेगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 को अधिकृत किया जाता है।

(v) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित) (ई0एण्डएम0/सिविल) को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा, तथा उक्त विनियमावली के शेष अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

प्रतिलिपि पत्रांक– 1042 (1)/विनियम एवं काविनी/पाकालि/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम एवं केस्को एवं यू0पी0आर0ई0वी0 के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निदेशक मण्डल की मद सं0 206(25) में प्राप्त निर्णय के अनुपालन की सूचना सहित प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(प्रभात सहगल)

उप सचिव (काविनी एवं विनियम)

d:\kavini files\viniyam files 329\viniyam files\viniyam year wise file\2024\8-viniyam-24\letter.doc